



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 01.10.2026

- थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका से दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना मंगलपुर पर दिनांक 01.10.2026 को वादी द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि वादी के रिश्तेदार अभियुक्त लोकेश उर्फ लवकुश बाथम पुत्र रामलखन निवासी गोविन्द नगर जनपद औरैया द्वारा वादी की नाबालिग नातिन को बहला फुसला कर ले जाकर छेड़खानी करना वादी अपनी नातिन को खोजते हुए मौके पर पहुंचे और विरोध किया तो अभियुक्त लोकेश उर्फ लवकुश उपरोक्त द्वारा गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देना, वादी द्वारा गाँव के लोगो की मदद से अभियुक्त लोकेश उर्फ लवकुश उर्फ लवकुश उपरोक्त को पकड़कर थाने लाने के सम्बन्ध में दी गयी । जिसके आधार पर थाना मंगलपुर पर मु0अ0सं0 324/26 धारा 62/75/137(2)/352/351(3) बीएनएस व 9m/10 पॉक्सो एक्ट बनाम लोकेश उर्फ लवकुश बाथम पुत्र रामलखन उपरोक्त पंजीकृत किया गया। थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए बयान पीड़िता व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(2)(च)/65(2) बीएनएस व धारा 5m/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी व धारा 62 बीएनएस व धारा 9m/10 पॉक्सो एक्ट का लोप किया गया । थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त के नामित अभियुक्त लोकेश उर्फ लवकुश उपरोक्त को थाना परिसर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. लोकेश उर्फ लवकुश बाथम पुत्र रामलखन निवासी -गोविन्द नगर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया उम्र करीब 30 वर्ष

अभियुक्त लवकुश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 632/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया ।
2. मु0अ0सं0 146/26 धारा 65(2) बीएनएस, धारा 5m/6 पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)V Sc/st Act थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया ।
3. मु0अ0सं0 324/26 धारा 75/137(2)/352/351(3)/64(2)(च)/65(2) बीएनएस व 5m/6 पॉक्सो एक्ट ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मंगलपुर पुलिस